उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–1
संख्या–15/50/86-का-1-2012
लखनऊ :: दिनांक 08 मई,2012

दिनांक 08 मई, 2012 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
11. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
अनुसचिव।

क्रम–संख्या–82

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल–डब्लू०/एंन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 8 मई, 2012

बैशाख 18, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या–15/50/86-कार्मिक-1/2012

लखनऊ, 08 मई, 2012

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–14

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ;

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तंभ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–4 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता सूची तैयार करना जहाँ मानदण्ड योग्यता हो 4–जहाँ पदोन्नति के लिए मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों	पात्रता सूची तैयार करना जहाँ मानदण्ड योग्यता हो 4–जहाँ पदोन्नति के लिए मानदण्ड योग्यता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिसमें यथासम्भव रिक्तियों की

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम		स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
की अलग–अलग तीन सूचियाँ, उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें नाम, यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:		संख्या के तीन गुना, किन्तु कम से कम आठ नाम रखे जायेंगे:
परन्तु यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता-सूचियाँ तैयार करते समय पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगी :–		परन्तु यह कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हों, की जानी हों, तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बंध में पृथक–पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूची तैयार करते समय, पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से होगी :–
(1) द्वितीय वर्ष के लिए	उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;	(1) द्वितीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग ;
(2) तृतीय वर्ष के लिए	उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :	(2) तृतीय वर्ष के लिए उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी :
	परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों का प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी :	परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के लिए नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी अंकित कर दी जायेगी।
	परन्तु यह और भी कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार	

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तंभ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता सूची तैयार करना जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो 5–(1) जहाँ पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियाँ, उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–	पात्रता सूची तैयार करना जहां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो 5–(1) जहाँ पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, जिनमें यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम रखे जायेंगे :–
1 से 5 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5 :	1 से 5 रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5:
5 से अधिक रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10:	5 से अधिक रिक्तियों के लिए–रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10 :
परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्ष में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई रिक्ति उपलब्ध न हो किन्तु, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अपनी ज्येष्ठता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने का हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति भी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।	

1 of

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) नियम–4 के परन्तुक में दिये गये उपबन्ध इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।	(2) नियम–4 के परन्तुक में दिये गये उपबन्ध इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करने के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/50-86-ka-1-2012, dated May 8 , 2012:

No. 15/50-86-ka-1-2012

Dated Lucknow, May 8, 2012

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986:

THE UTTAR PRADESH PROMOTION BY SELECTION (ON POSTS OUTSIDE THE PURVIEW OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION) ELIGIBILITY LIST (THIRD AMENDMENT) RULES, 2012

Short title and commence-ment

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List (Third Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On posts outside the Purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule 4 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list where the criterion is merit 4. Where the Criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said categories containing names as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :	Preparation of eligibility list where the criterion is merit 4. Where the criterion for promotion is merit, the appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, as far as possible, three times the number of vacancies subject to the minimum of eight :

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows :-	Provided that, if recruitment is to be made for vacancies occuring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility lists for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility lists shall be as follows :-
1. For the Second year	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year;
2. For the Third year	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on:	The number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year; and so on:
	Provided further that the candidates who are not considered suitable, Prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names :	Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.
	Provided also that if, in a year of recruitment, no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virtue of his seniority, in the eligibility list of the general category candidates, such person shall also be included in the eligibility list of General category candidates.	

Substitution of rule 5

3. In the said rules, for existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
Preparation of eligibility list where	5. (1) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit the	5. (1) Where the criterion for promotion is seniority subject to the rejection of unfit, the

	COLUMN-1 *Existing rule*	COLUMN-2 *Rule as hereby substituted*
the criterion is seniority subject to the rejection of unfit	appointing authority shall prepare three lists to be called the eligibility lists of the senior most eligible candidates from each of the category, namely, General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said category containing names, so far as may be, in the following proportion :- For 1 to 5 vacancies- 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5; For over 5 vacancies- 1-1/2 times the number of vacancies subject to a minimum of 10: Provided that if in a year of recruitment no vacancy is available for Scheduled Castes or Scheduled Tribes but a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, is entitled to be included, by virture of his seniority, in the eligibility list of the General category Candidates, such person shall also be included in the eligibility list of general category candidates. (2) The provisions containing in proviso to rule 4 shall mutatis mutandis, apply if preparing an eligibility list under this rule.	the criterion is seniority subject to the rejection of unfit appointing authority shall prepare a list of the senior most eligible candidates containing names, so far as may be, in the following proportion:- For 1 to 5 vacancies- 2 times the number of vacancies subject to a minimum of 5; For over 5 vacancies- 1-1/2 times the number of vacancies subject to a minimum of 10. (2) The provisions contained in proviso to rule 4 shall, mutatis mutandis, apply in preparing an eligibility list under this rule.

By order,
RAJIV KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 65 राजपत्र (हि०)–(177)–2012–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० नियुक्ति–(178)–2012–6000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।